APP-1
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलेक्टर ,बालोतरा बमुकाम बालोतरा

अमराराम बनाम रमेश कुमार व अन्य

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अधि. 1955 नं. 02 / सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.4.24	अपीलान्ट के वकील श्री अचलाराम थोरी उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत तहसीलदार गिड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2010 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट की अपील मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हों। उतरदातागण जरिये नोटिस तलब हों एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी उतरदाता एवं अपीलाधीन अभिलेख आईंदा दिनांक 22.5.24 ....को पेश हो। जिला कलक्टर बालोतरा	
22.5.24	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पो. 01 से 03 व 05 के अधिवक्ता श्री रमेश कुमार ने वकालतनामा पेश किया, अधिवक्ता अपीलांट ने रेस्पो. की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामिली पेश की, जो शामिल मिसल है। पक्षकारान अपीलांट व रेस्पो. सं. 01 से 03 व 05 ने आपसी राजीनामा पेश किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक कर शामिल मिसल किया। प्रकरण में रेस्पो. सं. 4 धोरमल पक्षकार होने से तामिली पर्याप्त मानी जाती है। लगातार आतेरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	अमराराम रमेशकुमार महेन्द्रकुमार धन्नाराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकारान ने आपसी राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जब आपसी सहमति से बंटवारा का प्रार्थना अधीनस्थ उपतहसीलदार गिड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया था कि मौके पर जिस प्रकार पक्षकारान का कब्जा है उसी अनुसार बंटवारा किया जा रहा है, पक्षकारान के ग्रामीण तबके के होने से पढ़ना लिखना की जानकारी न होने के फलस्वरूप गांव के रंग अभियान में पटवारी ने जो गलत नक्शा बनाया उस पर सही मानकर हस्ताक्षर किये थे जबकि बाद में अधूरी जानकारी होने से किये गये। मौके पर बने रहवासीय गांव व पानी के टांके और आवागमन का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। इसलिए सहमति विभाजन आदेश दिनांक 10.12.2010 निरस्त किया जावे। उभय पक्षकारान को सुना गया, पत्रावली व राजीनामे का अवलोकन किया गया। बाद गौर अपील अपीलांट अन्दर पक्षकार सुनाई की जाती है। पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत आपसी राजीनामा के आधार पर अपील स्वीकार अधीनस्थ उपतहसीलदार गिड़ा द्वारा राजस्व ग्राम बाड़ सनावड़ा पटवार हलका सनावड़ा के ख.नं. 159 रकबा 52.06 बीघा के संबंध के सहमति विभाजन आदेश दिनांक 10.12.2010 को निरस्त कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा लगातार...	

अनवान अमराराम बनाम रमेश कुमार मु.सं. 02/2004

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिनिहाय जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकरण तहसीलदार गिड़ा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (रिमांड) कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम वर्तमान एकीलोपली के ख.सं. 272/159 रकबा 2.8166 हैक्टेयर, ख.सं. 159 रकबा 5.6413 हैक्टेयर पटवार हलका सनावड़ा की भूमि का मौका पर कब्जा काश्त, सहखाती हानि, आवागमन के रास्ते के बिन्दु को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान की सहमति से पुनः बंटवारा कर रिकार्ड में अमलदरामद करें। पक्षकारान अपना खर्चा स्वयं वहन करें। पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो और नम्बर से कम हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	